न्यायालय अति0 जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 22 / 2023	2023 / 106	30.10.2023	09.10.2024

1– श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी स्व0 वासदेव जाति ब्राहमण निवासी ग्राम मातोर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल – तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा।

2– राधा स्वामी संत्संग व्यास जनरेल सिंह ऐरिया सेकेट्री अलवर (राज0)

3– मुरलीधर पुत्र टीकमदास जाति खत्री (सिन्धी) वार्ड न0 20 आनन्द नगर कॉलोनी खैरथल तहसील खैरथल जिला खैरथल–तिजारा (राज)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्व आज्ञा तहसीलदार मुण्डावर दिनाक 10.07.2015 व आदेश दिनाक 13.07.2015 नामान्तकरण संख्या 2797 ग्राम मातोर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

उपस्थित–

01. श्री अजय कृष्ण व्यास –वकील अपीलान्ट

02. श्री औमानन्द चौधरी –वकील रेस्पोडेन्ट

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार तिजारा के नामान्तकरण संख्या 2797 निर्णय दिनांक 10.07.2015 व दिनाक 13.07.2015 ग्राम मातोर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 686 रकबा 0.2 है0 किस्म गैरमुमकिन चाह वाके ग्राम मातोर तहसील मुण्डावर में स्थित है, जमाबन्दी संम्वत 2069 में चाह आराजी खसरा न0 686 किस्म गैर मुमकिन चाह दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी मिन अपीलान्ट व उसके पुत्रान राजेश कुमार, धमेन्द्र के नाम बतौर खातेदार 1/2 दर्ज है। मिन अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के यहॉ वाद दायर किया गया। दायर वाद में उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा रेस्पोडेन्ट के विरूद्व जारी की गयी। जिसे दिनाक 15.12.2006 को मूल वाद के निर्णय तक ऐबस्यूलट किया, किन्तु विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने विधि विरूद्व तरीके से उक्त आज्ञा को दिनाक 22.12.2006 को निरस्त किया, जिसके विरूद्व मिन अपीलान्ट ने न्यायालय भू0 प्रबन्ध अधिकारी अलवर के यहॉ अपील संख्या 117/2009 दायर की गयी। जिसमें दिनाक 05.11.2009 को निषेधाज्ञा पारित की गयी। जिस निषेधाज्ञा के अस्तित्व में रहते हुये रेस्पोडेन्ट

जिला कलक्टर एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

संख्या 2 राधा स्वामी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को बिला कब्जा, फोरी तौर पर चाह का बैयनामा दिनाक 29.04.2015 को पंजीबद्व करा दिया। उस बैयनामा की पुश्त पर पंजीयन नियम 39 के अर्न्तगत उप पंजियक द्वारा नोट लगाया गया। उक्त बैयनामा दौराने दावा हुआ एवं बावजुद स्थगन आदेश हुआ, तथा बैयनामा के जर्ये कोई कब्जा नही दिया गया न ही कब्जे का अंकन किया गया तथा बैयनामा के पृष्ठ संख्या 3 पर अविभाजित व अन डिमारकेटेड चाह भूमि को दिखाया गया, जिससे प्रथम द्वष्टया बैयनामा ही विधि विरूद्व था, निष्प्रभावी व शुन्य था जो तथ्य रेस्पोडेन्ट संख्या एक के समक्ष मौजुद था जो तथ्य रेस्पोडेन्ट संख्या एक के समक्ष थे। उसके बावजुद तहसीलदार मुण्डावर द्वारा रेस्पोडेन्ट करनीकोट जो मुण्डावर की अलग पंचायत है, एवं ग्राम मातोर से 40 किलोमीटर दूर है, में दिनाक 10.07.2015 को कंमाक भू0 अ0 /15/874 दिनाक 10.07.2015 को पारित करते हुऐ हल्का पटवारी को दिया गया । पटवारी हल्का ने नामान्तकरण के कॉलम संख्या 16 में नामान्तकरण दर्ज कर पूर्ण ईबारत लिख कर तत्पश्चात अलग से ईबारत बढा कर गलत इन्द्राज (लिखावट) यह जानते हुऐ कि उक्त चाह आराजी खसरा न0 686 पर स्थगन आदेश है, उसके बावजुद विधि विरूद्व तरीके से अंकन किया कि आज दिनाक को स्थगन प्राप्त नही है। जो ईबारत हल्का पटवारी व रेस्पोडेन्टान की दुर्भावना को परिलक्षित करती है। इतना ही नही अपितु हल्का पटवारी ने पुनः दिनाक 13.07.2015 को नामान्तकरण पर नोट डाला कि दिनाक 13.07.2015 तक कोई स्थगन आदेश प्राप्त नही है। जबकि स्थगन आदेश व पटवारी हल्का को सन 2011 में ही प्राप्त हो चुका था, और स्थगन आदेश का पैन्सिल से हल्का पटवारी ने नोट डाला हुआ था, जिसे रबड से मिटा कर समाप्त किया। यदि देखा जावे तो जब बयनामा पर ही वाद प्रकरण लम्बित होने व स्थगन आदेश होने के बावजुद बयनामा कराने का पंजीयन नियम 39 के अर्न्तगत नोट लगा हुआ और उक्त नोट विधि प्रक्रिया को अपनाये बिना हटाया नही गया हो तो नामान्तकरण दर्ज व मन्जूर होने का प्रश्न ही पैदा नही होता। ऐसी स्थिति में विवादित नामान्तकरण की बाबत जो आदेश रेस्पोडेन्ट तहसीलदार द्वारा पारित किया गया है, और नामान्तकरण को स्वीकार किया गया है, जो विधि सम्मत नही होने के कारण काबिल खारिज है। विवादित नामान्तकरण गैर मुमकिन चाह अन डिमारकेटेड है, अविभाजित है, तथा विभिन्न न्यायालयो में वाद लम्बित है, वाद में स्थगन आदेश रहते हुये बयनामा पंजीबद्व करना प्रकट होता है, बयनामा पर भी पंजीयन नियम 39 का नोट दर्ज है। उक्त सभी परिस्थितियो को दर किनार करते हुये एवं विधिक प्रावधानो को दर किनार करते हुये नामान्तकरण संख्या 2797 कैम्प करनीकोट में स्वीकार किया गया है। कानून चाह का विभाजन नही हो सकता है। न ही भूमि का बेचान हो सकता है। ऐसी भूमि जिसका विक्रय नही हो सकता हो ओर यदि कोई विक्रय भी हो जाता है, तो विक्रय पत्र ऐवनिशियो आईड है एवं शुन्य है किन्तु तहसीलदार मुण्डावर ने विधि विरूद्व जाकर नामान्तकरण को स्वीकार कर अहम गलती की है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय 10.07.2015 व आदेश दिनाक 13.07.2015 नामान्तकरण संख्या 2797 वाके ग्राम मातोर तहसील मुण्डावर को खारिज किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है, कि उक्त अपील में अपीलान्ट द्वारा मुख्य कथन किया है, कि निषेधाज्ञा के अस्तित्व में रहते हुये रेस्पोडेन्ट संख्या 2 राधा स्वामी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को बयनामा करा दिया गया तथा बैयनामा की पुश्त पर पंजीयन नियम 39 के अर्न्तगत उप पंजियक द्वारा नोट अंकित था। उक्त बैयनामा दौराने स्थगन आदेश हुआ, तथा बैयनामा के जर्ये कोई कब्जा नही दिया गया न ही कब्जे का अंकन किया गया तथा बैयनामा के पृष्ठ संख्या 3 पर अविभाजित व अन डिमारकेटेड चाह भूमि को दिखाया गया, जिससे प्रथम द्वष्टया बैयनामा ही विधि विरूद्व था, निष्प्रभावी व शुन्य था जो तथ्य रेस्पोडेन्ट संख्या एक के समक्ष मौजुद था जो तथ्य रेस्पोडेन्ट संख्या एक के समक्ष थे। उसके बावजुद तहसीलदार मुण्डावर द्वारा रेस्पोडेन्ट करनीकोट जो मुण्डावर की अलग पंचायत है, एवं ग्राम मातोर से 40 किलोमीटर दूर है, में दिनाक 10.07.2015 को कंमाक भू0 अ0 /15/874 दिनाक 10.07.2015 को पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा यह अपील नामान्तकरण

अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त मजिस्ट्रेट
कैथल-हरियाणा

संख्या 2797 वाके ग्राम मातोर तहसील मुण्डावर निर्णय दिनाक 10.07.2015 व दिनाक 13.07.2015 के विरूद्व पेश की गयी है, जबकि अपील में तथ्य बयनामा के बाबत अंकित किये गये है, जो विधि–सम्मत नही है, विधिक प्रावधानुसार अपीलान्ट को बयनामा को निरस्त कराने हेतु सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये थी, जो उनके द्वारा न की जाकर अपील पेश की गयी है। अपील के माध्यम से कोई राहत दिया जाना न्यायोचित नही है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 2797 दिनांक 10.07.2015 व दिनाक 13.07.2015 ग्राम मातोर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा के विरूद्व अपील न्यायालय को दिनाक 11.08.2015 को पेश की गयी है, अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि आराजी खसरा न0 686 रकबा 0.2 है0 किस्म गैरमुमकिन चाह वाके ग्राम मातोर तहसील मुण्डावर में स्थित है, जमाबन्दी संम्वत 2069 में चाह आराजी खसरा न0 686 किस्म गैर मुमकिन चाह दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी मिन अपीलान्ट व उसके पुत्रान राजेश कुमार, धमेन्द्र के नाम बतौर खातेदार 1/2 दर्ज है। मिन अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के यहॉ वाद दायर किया गया। दायर वाद में उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा रेस्पोडेन्ट के विरूद्व जारी की गयी। जिसे दिनाक 15.12.2006 को मूल वाद के निर्णय तक ऐबस्यूलट किया, किन्तु विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने विधि विरूद्व तरीके से उक्त आज्ञा को दिनाक 22.12.2006 को निरस्त किया, जिसके विरूद्व मिन अपीलान्ट ने न्यायालय भू0 प्रबन्ध अधिकारी अलवर के यहॉ अपील संख्या 117/2009 दायर की गयी। जिस में दिनाक 05.11.2009 को निषेधाज्ञा पारित की गयी। जिस निषेधाज्ञा के अस्तित्व में रहते हुये रेस्पोडेन्ट संख्या 2 राधा स्वामी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को बिला कब्जा, फोरी तौर पर चाह का बैयनामा दिनाक 29.04.2015 को पंजीबद्व करा दिया। उस बैयनामा की पुश्त पर पंजीयन नियम 39 के अर्न्तगत उप पंजियक द्वारा नोट लगाया गया। उक्त बैयनामा दौराने दावा हुआ एवं बावजुद स्थगन आदेश हुआ, अपीलान्ट द्वारा यह अपील नामान्तकरण संख्या 2797 वाके ग्राम मातोर तहसील मुण्डावर निर्णय दिनाक 10.07.2015 व दिनाक 13.07.2015 के विरूद्व पेश की गयी है, जबकि अपील में तथ्य बयनामा के बाबत अंकित किये गये है, जो विधि–सम्मत नही है, विधिक प्रावधानुसार अपीलान्ट को बयनामा को निरस्त कराने हेतु सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर चाराजोही करनी चाहिये थी, जो उनके द्वारा न की जाकर अपील पेश की गयी है, जो न्यायोचित नही है। तहत अदालत द्वारा नियमानुसार जॉच कर विधिवत कार्यवाही की गयी है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, तथा तहत अदालत तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक दिनाक 10.07.2015 व दिनाक 13.07.2015 नामान्तकरण संख्या 2797 ग्राम मातोर तहसील मुण्डावर यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/10/24

(शिवपाल जाट)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राजस्थान)